कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0

संख्या–एम0ई0–3 / 2021 / मेमो0 लखनऊ दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

यू0पी0 नीट पी0जी0–(एम0डी0एस0) 2021 की ऑनलाईन काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश।

1. यू0पी0 नीट पी0जी0–(एम0डी0एस0) 2021 के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की ऑफ–लाईन प्रवेश प्रकिया दिनांक 16.10.2021 से 22.10.2021 के मध्य संबंधित डेण्टल कालेजों में (रविवार एवं शासकीय अवकाशों को छोडकर) सम्पन्न की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General, Medical Education & Training UP Lucknow, Payable at Lucknow) के पक्ष में देय हो, संबंधित डेण्टल कालेज में प्रवेश के समय जमा किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक शुल्क संबंधी विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेख का सत्यापन मूलरूप में ही किया जायेगा, यदि कोई अभ्यर्थी ऑल इण्डिया के माध्यम से पूर्व से प्रवेशित है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी शुल्क की रसीद के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को दिनांक 25.10.2021 तक अखिल भारतीय कोटा से संबंधित सीट से त्याग–पत्र देते हुये मूल अभिलेख संबंधित कालेज में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धातिर तिथि तक मूल अभिलेख न जमा करने की स्थिति में अभ्यर्थी यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 की प्रथम कांउसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर लिया गया प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा, तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
4. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लेने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि उक्त अभ्यर्थी द्वितीय चक की कांउसिलिंग में पुनः प्रतिभाग करना चाहते है तो पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा कर कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
5. प्रथम चक की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराने के उपरान्त ही द्वितीय चक की कांउसिलिंग हेतु सीट अपग्रेडेशन (Upgradation/ Reshufling) हेतु अर्ह होगें।
6. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा केवल शिक्षण शुल्क (Tution Fee) का बैंक ड्राफ्ट ही संबंधित कालेज में जमा करना है, सिक्योरिटी फीस / हास्टल फीस द्वितीय चक की कांउसिलिंग के उपरान्त ही प्रवेशित डेण्टल कालेज में जमा करनी है।
7. राजकीय क्षेत्र के सीटों पर आंवटित अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय (OBC Certificate) का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01 जनवरी 2021 अथवा इसके पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करना होगा।
8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त संबंधित डेण्टल कालेज पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट घोषित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होने केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित सेन्टरों से अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किये है वही अभ्यर्थी दिव्यांगता कोटे हेतु अनुमन्य होगें।

(महानिदेशक)